

न्यायालय— सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला—बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक—565 / 2012

संस्थित दिनांक—11.07.2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—गढ़ी

जिला—बालाघाट (म.प्र.) — — — — — अभियोजन

// विरुद्ध //

1— शेरसिंह पिता रदूसिंह, उम्र—35 साल,
निवासी—डोगरिया, थाना गढ़ी, जिला बालाघाट (म.प्र.),

2— संतलाल पिता बिरनसिंह, उम्र—30 साल,
निवासी—समरिया, थाना गढ़ी, जिला बालाघाट (म.प्र.) , — — — आरोपीगण

// निर्णय //

(आज दिनांक— 07 / 11 / 2014 को घोषित)

1— आरोपीगण के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा—341, 294, 323/34, 506 (भाग—दो) के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक—8.03.2012 को समय शाम करीब 07.00 बजे स्थान ग्राम समरिया थाना गढ़ी जिला बालाघाट अन्तर्गत फरियादी अंतराम को निश्चित दिशा में जाने से निवारित कर सदोष अवरोध कारित कर लोक स्थान में फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित कर, उसको पटक कर व हाथ—मुक्को से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया तथा उसको संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक—8.03.2012 को समय शाम करीब 07.00 बजे स्थान ग्राम समरिया फिरतू के घर के पास आरोपी शेरसिंह एवं संतराम ने आरोपी अंतराम को गंदी गंदी गालियां देते हुए उसका रास्ता रोक लिया तथा उसे हाथ मुक्के व लात घूसों से पेट व छाती में मारकर चोट पहुंचायी। आरोपीगण ने फरियादी को जान से मारने की धमकी भी दी। घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाना गढ़ी में आरोपीगण के विरुद्ध की, जिस पर पुलिस ने आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक—19/12, धारा—294, 323, 506 भा.द.सं. का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई, आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, घटना स्थल का नजरी नक्शा बनाया गया, गवाहों के कथन लिये गये एवं आरोपीगण को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—341, 294, 323/34,

506 (भाग-दो) के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपीगण ने धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया गया होना बताया है। आरोपीगण द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:—

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक-8.03.2012 को समय शाम करीब 07.00 बजे स्थान ग्राम समरिया थाना गढ़ी जिला बालाघाट अन्तर्गत फिरतू के घर के सामने लोक स्थान पर फरियादी अंतराम को अश्लील शब्दों उच्चारण कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया?
2. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी अंतराम को निश्चित दिशा में जाने से निवारित कर सदोष अवरोध कारित किया?
3. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर ही अंतराम को उपहति करने का सामान्य आशय बनाकर उसके अग्रसरण में फरियादी अंतराम को हाथ-मुक्को से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की?
4. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर संत्रास कारित करने के आशय से फरियादी अंतराम को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया?

विचारणीय बिन्दुओं का सकारण निष्कर्ष :-

5— आहत अंतराम (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना दिनांक को शाम 7 बजे वह समरिया बाजार चौक तरफ से अपने घर जा रहा था तो आरोपीगण उसे रास्ते में मिले और उसे मादरचोद, जान से मार दूंगा की गालियां दी, जो उसे सुनने में बुरी लगी। आरोपीगण ने उसे हाथ और लात से मारपीट करने लगे। उसने घटना की रिपोर्ट थाना गढ़ी में प्र0पी0 1 लेख कराई थी जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपीगण के द्वारा मारपीट करने पर उसे छाती और पेट पर चोट लगी थी। उसका ईलाज शासकीय अस्पताल बैहर में हुआ था।

6— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वह शेरसिंह और संतलाल शराब पीकर आ रहे थे तथा तीनों के बीच में किस बात से झगड़ा हुआ था उसे नहीं मालूम। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि रास्ते में मिलने वाली बात मुख्य परीक्षण में बताया वह सही नहीं है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि वह शराब पीकर सड़क पर गिर गया था और आरोपीगण ने उसके साथ मारपीट नहीं की थी। इस प्रकार साक्षी अपने कथन में आरोपीगण द्वारा कथित रास्ते में मिलने और उसका रास्ता रोकने से सदोष अवरोध कारित होने के तथ्य के संबंध में स्थिर नहीं रहा है। जहां तक आरोपीगण के द्वारा कथित जान से मारने की धमकी दिये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में भी साक्षी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि कथित धमकी को परिणाम में

बदलने हेतु आरोपीगण ने क्या कृत्य या आचरण किया जिससे फरियादी को निश्चित रूप से यह भय या आशंका उत्पन्न हो गई कि आरोपीगण उसे जान से मार डालेंगे। साक्षी के कथन इस संबंध में अखण्डित रहे हैं कि आरोपीगण ने उसे गंदी-गंदी गालिया देते हुये हाथ-लात व घुसे से मारपीट कर उसे छाती व पेट में चोट पहुंचाई थी। इस प्रकार साक्षी ने आरोपीगण के द्वारा लोक स्थान में अश्लील शब्दों का उच्चारण करने एवं उसे उपहति कारित करने के संबंध में उसकी रिपोर्ट एवं पुलिस कथन के अनुरूप साक्ष्य पेश की है, जिसमें महत्वपूर्ण विरोधाभास नहीं है। उक्त तथ्यों के संबंध में साक्षी के कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है।

7— बिलासवती (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन की है कि उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने उसके सामने कथित घटना घटित होने एवं पुलिस द्वारा घटना स्थल का मौका नक्शा प्र0पी0 2 तैयार करने एवं पुलिस कथन प्र0पी0 3 के अनुसार कथन दिये जाने से इंकार किया है। इस प्रकार साक्षी अभियोजन मामले का अपनी साक्ष्य में किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।

8— रामसिंह (अ.सा.3) ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि घटना के समय आरोपीगण और फरियादी अंतराम के मध्य झगड़ा चल रहा था और आरोपी शेरसिंह ने अंतराम को हाथ-मुक्कों से मारपीट किया था तथा शेरसिंह के साथ मारपीट में संतलाल भी था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी शेरसिंह ने अंतराम को नहीं मारा। इस प्रकार इस साक्षी ने आरोपीगण के द्वारा अंतराम को मारपीट कर उपहति कारित किये जाने का समर्थन अपनी साक्ष्य में किया है। यद्यपि शेष तथ्यों के संबंध में साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है।

9— अनुसंधानकर्ता राजकुमार हिरकने (अ.सा.4) ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-16/03/2012 को थाना गढ़ी में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उसे अपराध क्रमांक-19/12, धारा-294, 323, 506 भा.द.वि. का प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-1 विवेचना हेतु प्राप्त हुआ था, जिस पर उसने विवेचना के दौरान विलासवती के निशादेही पर घटना स्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 1 प्रधान आरक्षक हेमराज राणा ने लेखबद्ध की थी जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने विवेचना के दौरान विलासवती, अंतराम, रामसिंह, अंगदसिंह के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया था। उसने आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0 4 एवं 5 तैयार किया था जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके द्वारा की गई अनुसंधान कार्यवाही का महत्वपूर्ण खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। साक्षी ने समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में मामले में की गई अनुसंधान कार्यवाही को अपनी साक्ष्य में प्रमाणित किया है।

10— बचाव पक्ष की ओर से बचाव में यह तर्क पेश किया गया है कि घटना का समर्थन फरियादी अंतराम अ.सा.1 के अलावा अन्य किसी साक्षी ने अपनी साक्ष्य में

नहीं किया है अतएवं अभियोजन का मामला प्रमाणित नहीं होता है। इस संबंध में उल्लेखनिय है कि आहत अंतराम अ.सा.1 के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से इस तथ्य का खण्डन नहीं किया गया है कि आरोपीगण ने उसे रास्ते में अश्लील शब्दों का उच्चारण करते हुये हाथ—मुक्कों से मारपीट कर छाती व पेट में उपहति कारित की थी। उक्त तथ्य अखण्डित होने तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट व पुलिस कथन के अनुरूप साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने व उसमें महत्वपूर्ण विरोधाभास व लोप प्रकट न होने से उसकी साक्ष्य पर अविश्वास प्रकट करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है।

11— उक्त प्रकरण में फरियादी अंतराम की साक्ष्य का समर्थन रामसिंह अ.सा.3 ने अपने कथन में करते हुये इस तथ्य की पुष्टि की है कि आरोपी शेरसिंह ने आहत अंतराम को घटना के समय हाथ—मुक्कों से मारपीट किया था तथा उस समय आरोपी संतलाल भी मौजूद था। उक्त साक्ष्य से फरियादी के कथन की पुष्टि होती है कि आरोपीगण ने मिलकर फरियादी अंतराम को हाथ—मुक्कों से मारपीट कर उपहति कारित की थी। उक्त साक्षी के कथन पर भी अविश्वास करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है।

12— प्रकरण में उक्त दोनों महत्वपूर्ण साक्षी अंतराम अ.सा.1 व रामसिंह अ.सा.3 की साक्ष्य से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि आरोपीगण ने मिलकर आहत अंतराम को मारपीट कर उपहति कारित की तथा लोक स्थान में अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे क्षोभ भी कारित किया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 में यह प्रावधानित किया गया है कि किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं होगी। विधि के अन्तर्गत साक्ष्य गिनी नहीं जाती है अपितु तौली जाती है। इस प्रकार मात्र अन्य साक्षीगण के द्वारा अभियोजन मामले का समर्थन न किये जाने से उक्त महत्वपूर्ण साक्षीगण की साक्ष्य पर अविश्वास करने का कारण व आधार प्रकट नहीं होता है। यद्यपि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत उक्त महत्वपूर्ण साक्षी अंतराम अ.सा.1 व रामसिंह अ.सा.3 की साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपीगण ने घटना के समय फरियादी अंतराम का रास्ता रोककर उसे निश्चित दिशा में जाने से निवारित कर सदोष अवरोध कारित किया।

13— उक्त साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में आरोपी के द्वारा घटना के समय कथित जान से मारने की धमकी दिये जाने के संबंध में ऐसे कथन नहीं किये हैं कि आरोपीगण के द्वारा कथित जान से मारने की धमकी देने के फलस्वरूप फरियादी को ऐसा डर व भय से आतंकित होना पड़ा, जिससे उसे अभित्रास कारित हुआ हो। मामले में यह स्पष्ट है कि फरियादी के द्वारा घटना के तत्काल पश्चात् आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करायी गई है। ऐसी दशा में फरियादी का कथित धमकी से संत्रास कारित होने या आपराधिक अभित्रास कारित होने का तथ्य प्रमाणित नहीं होता है।

14— अभियोजन ने अपना मामला युक्ति—युक्त संदेह से परे प्रमाणित किया है कि आरोपी के द्वारा घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी के घर के सामने उसे अश्लील शब्द का उच्चारण कर उसको तथा दूसरे सुनने वालों को क्षोभ कारित

किया, घटना स्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-2 में उक्त स्थान फरियादी के घर के सामने सार्वजनिक मार्ग के रूप में दर्शित किया गया है। ऐसी दशा में आरोपी के द्वारा लोक स्थान में फरियादी यशोदा को अश्लील शब्दों को उच्चारण कर उसे व दूसरों को क्षोभ कारित करने का तथ्य प्रमाणित होता है। साथ ही आरोपीगण का घटना के समय आहत अंतराम को निश्चित ही उपहति कारित करने का आशय था तथा आरोपीगण के उक्त कृत्य से आहत अंतराम को साधारण चोट पहुंची थी। आरोपीगण के द्वारा किया गया उक्त कृत्य आहत अंतराम को स्वैच्छया उपहति कारित करने की श्रेणी में आता है। उक्त आरोपीगण ने एकमत होकर आहत अंतराम को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में आहत अंतराम मारपीट कर उपहति कारित की गई जिस अपराध हेतु दोनों आरोपीगण समान रूप से जिम्मेदार है।

15— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया है कि आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में लोक स्थान पर फरियादी अंतराम को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया तथा आहत अंतराम को हाथ—मुक्के व लात से मारपीट कर स्वैच्छया उपहति कारित किया। अभियोजन ने यह प्रमाणित नहीं किया है कि आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी अंतराम को सदोष अवरोध कारित कर उसे जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। अतएव आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—341, 506 (भाग—दो) के अन्तर्गत दोषमुक्त कर शेष धारा—294, 323/34 के अपराध के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

16— आरोपीगण को मामले की परिस्थिति को देखते हुए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। आरोपीगण को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय स्थगित किया गया।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

पश्चात्—

17— आरोपीगण को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। आरोपीगण की ओर से निवेदन किया गया है कि यह उनका प्रथम अपराध है तथा उनके विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि नहीं है, उनके द्वारा मामले में वर्ष 2012 से विचारण का सामना किया जा रहा है तथा वह प्रकरण में नियमित रूप से उपस्थित होते रहे हैं। अतएव उन्हें केवल अर्थदण्ड से दण्डित कर छोड़ा जावे।

18— मामले में आरोपीगण और फरियादी के मध्य मामुली विवाद को लेकर घटना के समय आरोपीगण ने आहत अंतराम को उपहति पहुंचायी है। मामले में आरोपीगण के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि का कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया है। मामले की

परिस्थिति एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण को केवल अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने से न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति संभव है। अतएव प्रत्येक आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323 के अपराध के अंतर्गत क्रमशः 500/—(पॉच सौ रूपये), 1000/—(एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम की दशा में प्रत्येक आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323 के अपराध के अंतर्गत एक-एक माह का सादा कारावास भुगताया जावे।

19— आरोपीगण के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)